UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

VOLUME-VII APRIL TO JUNE, 2017 ISSUE-II

न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

NEWSLETTER

A quarterly newsletter published by Uttarakhand SLSA

High Court Campus, Nainital – 263001, Telefax : 05942 – 236552,
e-mail : ukslsanainital@gmail.com, slsa-uk@nic.in,
website : www.slsa.uk.gov.in

TOLL FREE NO. 1800 180 4000

NATIONAL LOK ADALATS

As per directions of National Legal Services Authority and under the valuable guidance of Hon'ble the Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority, a National Lok Adalat was organized in the State of Uttarakhand from Tehsil Level to High Court Level in all the Courts and Quasi Judicial Authorities on 08.04.2017. In the said National Lok Adalat, apart from the civil and criminal cases, the matters pertaining to MACT, labour disputes, revenue disputes, land acquisition act, matrimonial disputes, bank recovery, water and electricity and all such matters which can be disposed of by way of settlement were taken up.

A total number of 11685 cases were taken up in the National Lok Adalat. Out of the said cases, 1436 cases were disposed of through amicable settlement. Amount to the tune of ₹ 5,68,96,166/- was also settled.

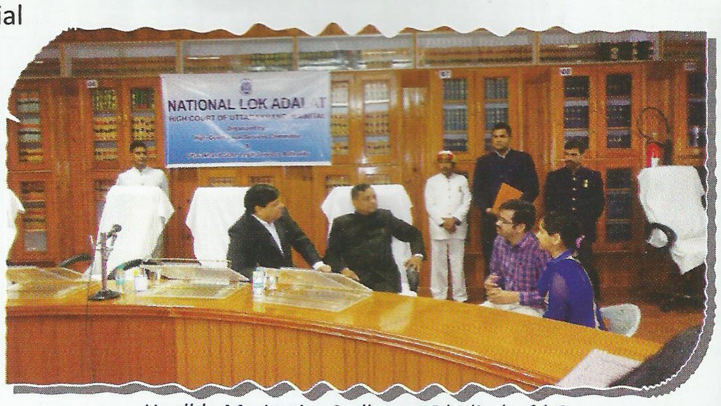

Hon'ble Mr. Justice Sudhansu Dhulia (Left) & Hon'ble Mr. Justice Servesh Kumar Gupta (Right) interacting with parties

Advocates and litigants during NLA

Proceedings of National Lok Adalat

ESTABLISHMENT OF LEGAL ASSISTANCE ESTABLISHMENT

In order to provide information about status of cases pending in different Courts and to extend necessary legal aid and assistance to the needy persons, the Legal Assistance Establishment has been established in the premises of Uttarakhand State Legal Services Authority with facility of video conference. On the occasion of the inauguration of Legal Assistance Establishment, video conference sessions were also held between the Member Secretary, UKSLSA, Advocates, Jail Authorities and the prisoners detained in the jails so as to know as to whether the prisoners are being represented by the legal aid counsels and they are getting the necessary legal aid/advice. The response received from Jail Authorities and prisoners was satisfactory.

Legal Assistance Establishment 'Nyay Sambandh' Centre

Video conference session at LAE

LEGAL AWARENESS CAMPAIGN THROUGH MOBILE VAN

In order to provide legal aid and advice at the doorsteps, legal awareness and sensitization camps are being organized through mobile van throughout the State. During this period, State Legal Services Authority's mobile van visited District-Dehradun and District-Pithoragarh covering 41 places whereby 5333 persons were benefited.

In the said camps documentary films on the subjects of mediation, lok adalat and legal aid prepared by National Legal Services Authority and State Legal Services Authority were displayed. The queries raised by the villagers were also resolved on the spot. The applications were also received for legal aid which were either disposed of at the level of State Authority or were sent to the authorities concerned for appropriate and necessary action. Also, a Mobile Lok Adalat was conducted in district-Dehradun wherein 31 cases were taken up.

Students getting legal informative booklets

People showing interest during mobile van awareness

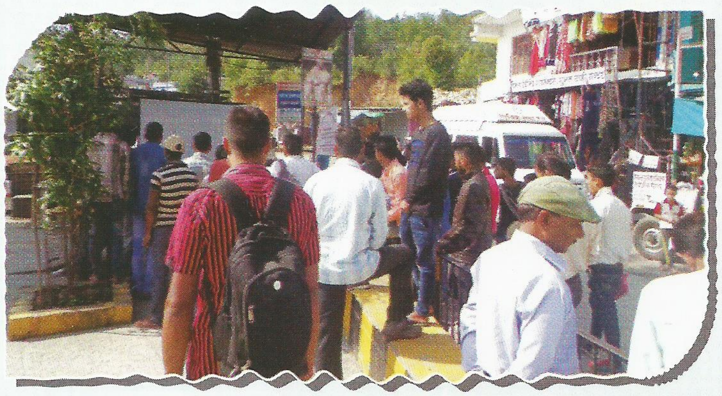

Public watching documentary film

LEGAL AWARENESS ON COMMEMORATIVE DAYS

Between the months of April, 2017 to June, 2017, the Labour Day, Anti Tobacco Day, Environment Day, World Day against Child Labour and International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking were observed throughout the State. During these occasions, 205 special legal literacy and awareness camps were organized wherein 13826 people got benefitted.

Celebration of Anti Tobacco Day by the students

Special camp on World Health Day at Pauri Garhwal

Sensitization camp on the occasion of Environment Day at Pithoragarh

Secretary, DLSA, Tehri Garhwal during World Day against Child Labour

Apart from above, by organizing legal awareness camps, programmes, seminars etc. throughout the State on regular basis, the various Government welfare schemes were given wide publicity under the purview of ten schemes made by NALSA for proper implementation.

ACTIVITIES AT DISTRICT LEVEL

Secretary, DLSA, Chamoli sensitizing the gathering about Labour laws

Sensitization camp on child rights at GIC Sabarisein, District-Chamoli

Refresher training programme of CWC

Jail visit by Secretary, DLSA, Pithoragarh

Secretary, DLSA, Haridwar sensitizing the people

Awareness camp on Anti Tobacco Day at Pauri Garhwal

Secretary, DLSA, Rudraprayag sensitizing on poverty alleviation

Legal awareness camp on labour rights at Rudraprayag

मेले में आयोजित विधिक सेवा शिविर में मौजूद न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार और अन्य।

समाज के लिए घातक बीमारी है नशा

कर्णप्रयाग। मेले में तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से नशा मुक्ति पर विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। मेला पंडाल में आयोजित गोष्ठी की अध्यक्षता न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक ने की। इस दौरान वक्ताओं ने नशे को समाज के लिए बीमारी बताया। न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार ने भारतीय संविधान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सहित कई जानकारियां दीं। अधिवक्ता बीएस डिमरी, सतीश गैरोला, राजेंद्र सिंह नेगी ने कई जानकारियां दीं। इससे पूर्व मेला पंडाल में हुई पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन की गोष्ठी में पेंशनरों ने विभिन्न समस्याएं उठाईं।

गोपेश्वर में आयोजित महिला सम्मेलन में उपस्थित महिलाएं ● जागरण

अपने अधिकारों के लिए एकजुट हों महिलाएं

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर: महिला सम्मेलन में महिलाओं के अधिकारों को लेकर एकजुट होकर संघर्ष की जरूरत पर जोर दिया गया। महिलाओं ने ... पारिवारिक हिंसा का ... माना है।

रविवार को नव ज्योति महिला ... न व उत्तराखंड सेव ... गोष्ठी आयोजित ... रों पर चर्चा की ... को होनी चाहिए ... ए बिष्ट ने कहा ... के लिए आ ... संगठन ए ... । सम्मेलन ... ता व्यव ... वध या अवैध शरा ... युवा वर्ग को खोखला कर रहा है ... सरकार को शराब बेचने के बजाए बिहार गुजरात जैसे राज्यों की तरह यहां भी शराबबंदी करनी चाहिए।

शिविर में दी अधिकारों की जानकारी

■ श्रीनगर/एसएनबी। गोपेश्वर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित शिविर में नागरिकों के अधिकार, भरण पोषण के साथ ही असंगठित क्षेत्र ... के श्रमिकों के लिए दी जाने वाली विधिक सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। ... जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में नगरनिगम तहसील ... आयोजित साक्षरता शिविर में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रविप्रकाश शुक्ला ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के अधिकारों तथा उनको दी जाने वाली विधिक सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने पॉक्सो अधिनियम, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, किशोर न्याय अधिनियम, बच्चों के अधिकार, शिक्षा के अधिकार, मौलिक अधिकार तथा नशा उन्मूलन के बारे में आम लोगों को जानकारी दी। इस मौके पर पैनल अधिवक्ता ... संगठन, ... देवी, लक्ष्मी देवी, ... देवी, ... सिंह आदि मौजूद थे।

श्रीनगर में कानूनी जागरुकता शिविर में मौजूद अधिवक्ता एवं मजदूर। ● हिन्दुस्तान

श्रमिकों को दी कानूनी अधिकारों की जानकारी

श्रीनगर | हमारे संवाददाता

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी ...

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं। इसके तहत कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई ...

किशोरों के मामलों में मानवीय संवेदना का ध्यान जरूरी

चंपावत जिला न्यायालय सभागार में पॉक्सो अधिनियम संबंधी जानकारी देते जिला जज प्रेम सिंह खिमाल।

अमर उजाला ब्यूरो

चंपावत।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिला न्यायालय सभागार में स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, सीडब्ल्यूसी एवं चाइल्ड जुवेनाइल ऑफीसर्स की एक दिनी कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें पॉक्सो एक्ट के साथ ही जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के संबंध में कानूनी जानकारियां दी गईं।

जिला जज प्रेम सिंह खिमाल की अध्यक्षता में हुई कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र कुमार सिंह ने वर्ष संबंधित कानूनों, वर्ष 2015 में गठित पॉक्सो एक्ट और वर्ष 2016 में बनी किशोर अपचारी से संबंधित नियमावली की जानकारी दी।

उन्होंने पुलिस और अन्य सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि किशोरों से संबंधित मामलों में मानवीय संवेदना का ध्यान रखा जाना जरूरी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने भी जुवेनाइल जस्टिस के प्रावधानों की जानकारी दी। कार्यशाला में सीएमएस डॉ. अहमद इकबाल, जिला प्रोबेशन अधिकारी पीसी जोशी, जिला बाल कल्याण समिति अध्यक्ष भुवन लड़कोटी, सदस्य सतीश जोशी

देहरादून, 26 अप्रैल 2017 दैनिक जागरण

सामूहिक प्रयास से ही रुकेगा अपराध

संवाद सहयोगी, पौड़ी: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित विधिक शिविर में बच्चों के अधिकारों के प्रति ग्रामीणों को जागरूक किया गया। ग्रामीणों को बच्चों के अधिकार, शिक्षा का अधिकार, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण, बाल विवाह, पीड़ितों की सहायता जैसे अनेक अधिकारों की जानकारी विस्तार से दी गई। शिविर में जीआइसी बदरखाल के बच्चों व ...डी, पाली, बकरोड़ा, मोली, रणाकोट, रैणी, मुड आदि गांवों के लोगों ने ...तभाग किया।

न्याय पंचायत कुंडी बदरखाल में आयोजित ...धिक शिविर में प्राधिकरण ... सचिव जयेंद्र सिंह ने कहा ... बच्चों का मन कोमल ...ता है। अपराधी प्रवृत्ति ... लोग बच्चों की कोमल भावनाओं को अपने हिसाब से मोड़ने में माहिर होते हैं। इससे बच्चे आसानी से उनके जाल में फंसते चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों की हर गतिविधि पर नजर रखना माता-पिता, शिक्षकों व समाज सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इनमें से एक कड़ी के कमजोर होने से बच्चे अपराध ... सकते हैं। सचि... लैंगिक अपराध ... विभिन्न बाल ... विस्तार से जा... साथ ही उन्हों... से से भी बच्च... शिक्षा व कॅरियर में अहम भूमि... आह्वान किय... पर जीआइसी के प्रधानाचार्य ... शर्मा, विपिन ... भारती, दीपच... सिंह आदि मौ...

अधिकारों की जानकारी से जिम्मेदार बनेंगे बच्चे

संवाद सहयोगी, रामनगर : जिला जज कुमकुम रानी ने कहा कि बच्चे राष्ट्र की धरोहर हैं। बच्चे जिम्मेदार नागरिक तभी बन सकते हैं जब उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी हो।

रविवार को ग्राम छोई स्थित पं. गौरी दत्त दानी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में जिला विधिक साक्षरता एवं बहुउद्देश्यीय शिविर का आयोजन किया गया। सिविल जज सीनियर डिविजन नैनीताल राजीव धवन ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं, कैदी व आर्थिक ...

द्वितीय अपर जिला जज हल्द्वानी अरविंद कुमार ने कहा कि कानून की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। एसडीएम परितोष वर्मा ने खतौनी में हुई त्रुटियों को सुधारने से संबंधित जानकारी दी। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण, कृषि विभाग, उद्यान विभाग के स्टॉल भी लगाए गए थे। संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता ललित मोहन तिवारी ने किया। इस दौरान एडीजे सुजीत कुमार, सिविल जज सीनियर डिविजन गीता चौहान, जूनियर डिविजन छवि बंसल, जिला शासकीय ...

बाल अधिकार व कानून की दी जानकारी

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से राजकीय इंटर कॉलेज सैंकोट सावरीसैण में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में युवाओं को उनके अधिकारों व कानून के साथ-साथ सरकार की ओर से विद्यार्थियों के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी भी दी गई।

शिविर में बोलते हुए प्राधिकरण के सचिव व सिविल जज सीनियर डिवीजन रविप्रकाश शुक्ला ने कहा कि बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। बच्चे को खुशनुमा वातावरण एवं संवाद भी मिलना चाहिए। उन्होंने लैंगिक अपराधों के लिए बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की जानकारी दी। हिमाद के सचिव व उमाशंकर बिष्ट ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत सरकार द्वारा भी बच्चों के अधिकारों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस मौके पर प्रधान सैंकोट राम लाल, राकेश खनेड़ा, प्रदीप रावत, कई लोग मौजूद थे।

छात्रों ने लिया पर्यावरण बचाने का संकल्प

पौड़ी (ब्यूरो)। विश्व पर्यावरण दिवस पर छात्र-छात्राओं ने पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया। उन्होंने लोगों से भी पर्यावरण संरक्षण की अपील की। शहर के विभिन्न स्कूलों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और वन विभाग समेत विभिन्न संस्थाओं की ओर से शहर में पर्यावरण जागरुकता रैली भी निकाली गई। सोमवार सुबह बीआर मॉडर्न स्कूल, केंद्रीय विद्यालय पौड़ी, मैसमोर इंटर कालेज, राजकीय इंटर कालेज पौड़ी नगर के शिक्षक शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं और कर्मचारियों की ओर से अपने-अपने स्कूल कालेजों में पर्यावरण संरक्षण पर गोष्ठियां कर जागरुकता रैली निकाली गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिविल जज (सीनियर डिवीजन) जयेंद्र सिंह ने अपील की कि धरती को आने वाली पीढ़ी के लिए बचाइए। मैसमोर इंटर कालेज के प्रिंसिपल डॉ. आरए सिलास ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों की लूट-खसूट से पेड़ पौधों के स्थान पर कंक्रीट के जंगल उभर रहे हैं।

STATISTICAL INFORMATION

STATEMENT SHOWING THE PROGRESS OF LOK ADALATS HELD IN THE STATE OF UTTARAKHAND FOR THE PERIOD FROM APRIL, 2017 TO JUNE, 2017

S. No.	Name of DLSA's	No. of Lok Adalats Held	No. of Cases Taken up	No. of Cases Disposed off	Compensation Settlement Amount	Amount Realized As Fine (in Rs.)	No. of Persons Benefited in Lok Adalat
01	ALMORA	02	169	115	27,92,289	5,22,000	115
02	BAGESHWER	04	240	61	6,69,877	1,14,200	61
03	CHAMOLI	01	88	25	3,20,641	45,000	25
04	CHAMPAWAT	02	1143	199	3,66,316	3,82,350	199
05	DEHRADUN	03	10362	2580	42,00,811	10,56,310	2618
06	HARDWAR	01	902	139	36,04,984	35,700	145
07	NAINITAL	03	4601	523	17,40,537	12,10,106	535
08	PAURI GARHWALi	01	101	04	11,00,000	-	04
09	PITHORAGARH	04	1378	172	10,44,582	1,77,330	177
10	RUDRAPARYAG	01	79	12	1,13,000	-	12
11	TEHRI GARHWAL	01	198	97	10,00,000	500	97
12	U.S. NAGAR	01	378	93	2,85,59,316	1,49,500	105
13	UTTARKASHI	03	712	180	33,31,277	2,28,900	209
14	Hclsc, Ntl	01	245	24	84,16,171	-	32
	TOTAL :-	**28**	**20596**	**4224**	**5,72,59,801**	**39,21,896**	**4334**

STATEMENT SHOWING THE PROGRESS OF CAMPS ORGANIZED IN THE STATE OF UTTARAKHAND FOR THE PERIOD FROM APRIL, 2017 TO JUNE, 2017

S. No.	Name of DLSA's	No. of Camps Organized	No. of Persons Benefited in Camps
01	ALMORA	36	9455
02	BAGESHWER	37	2560
03	CHAMOLI	300	12533
04	CHAMPAWAT	17	2666
05	DEHRADUN	40	3004
06	HARDWAR	73	5640
07	NAINITAL	146	7984
08	PAURI GARHWAL	119	22529
09	PITHORAGARH	38	2729
10	RUDRAPARYAG	09	850
11	TEHRI GARHWAL	26	1281
12	U.S. NAGAR	49	4366
13	UTTARKASHI	18	2259
	TOTAL :-	**908**	**77856**

STATEMENT SHOWING THE PROGRESS OF LEGAL AID AND ADVICE/COUNSELING PROVIDED IN THE STATE OF UTTARAKHAND FOR THE PERIOD FROM APRIL, 2017 TO JUNE, 2017

S. No.	Name of DLSA's	No. of Persons Benefited through Legal Aid & Advice	
		Legal Aid	Legal Advice
01	ALMORA	20	11
02	BAGESHWER	10	-
03	CHAMOLI	14	15
04	CHAMPAWAT	09	-
05	DEHRADUN	61	-
06	HARDWAR	54	05
07	NAINITAL	65	01
08	PAURI GARHWAL	26	305
09	PITHORAGARH	16	01
10	RUDRAPARYAG	-	01
11	TEHRI GARHWAL	15	10
12	U.S. NAGAR	73	10
13	UTTARKASHI	05	-
14	H.C.L.S.C., N.T.L.	06	01
15	U.K. S.L.S.A., N.T.L.	-	32
	TOTAL :-	**374**	**392**

CONTACT US

S.NO.	ADDRESS	DESIGNATION	CONTACT NUMBERS
01	Uttarakhand State Legal Services Authority, High Court Compound, Nainital	Member Secretary Office on Special Duty	Office: 05942-236762; Telefax: 236552
02	High Court Legal Services Committee, High Court Compound, Nainital	Secretary Office:05942-232085	Fax: 05942-237721
03	District Legal Services Authority, Almora	Sh. G.K. Sharma, Chairman Sh. Shesh Chandra, Secretary	Office: 05962-231105 9456596757
04	District Legal Services Authority, Bageshwar	Sh. Heera Singh Bonal, Chairman Mrs. Jyotsna, Secretary	Office: 05963-221844 9412097865
05	District Legal Services Authority, Chamoli,	Sh. Pradeep Pant, Chairman Sh. Ravi Prakash, Secretary	Office: 01372-251529 9412079328
06	District Legal Services Authority, Champawat	Sh. Preem Singh Khimal, Chairman Sh. Dharmendra Kumar Singh, Secretary	Office: 05965-230915 9411327127
07	District Legal Services Authority, Dehradun	Sh. N.S. Dhanik, Chairman Sh. Vivek Srivastava, Secretary	Office: 0135-520873 8958444430
08	District Legal Services Authority, Hardwar	Sh. Rajendra Singh, Chairman Ms. Meena Deopa, Secretary	Office: 01334-239780 9412071710
09	District Legal Services Authority, Nainital	Ms. Kumkum Rani, Chairman Sh. Rajeev Dhawan, Secretary	Office: 05942-237159 9411102137
10	District Legal Services Authority, Pauri Garhwal	Sh. Kanwar Sain, Chairman Sh. Jayender Singh, Secretary	Office: 01368-221815 9412079408
11	District Legal Services Authority, Pithoragarh	Sh. S.K. Tyagi, Chairman Sh. Kuldeep Sharma, Secretary	Office: 05964-228322 9411330501
12	District Legal Services Authority, Rudraprayag	Sh. Harish Kumar Goyal, Chairman Sh. Sudheer Tomar, Secretary	Office: 01364-233796 9412079480
13	District Legal Services Authority, Tehri Garhwal	Smt. Meena Tiwari, Chairman Sh. Abdul Qayyum, Secretary	Office: 01376-233424 9412077221
14	District Legal Services Authority, Udham Singh Nagar	Sh. B.S. Dugtal, Chairman Sh. Arun Vohra, Secretary	Office: 05944-250682 9412088088
15	District Legal Services Authority, Uttarkashi	Sh. D. P. Gairola, Chairman Sh. Hemant Singh, Secretary	Office: 01374-226557 9412078165

Consul, Nainital